>

Title: Need to promote the use of Hindi language in Government Offices and Departments.

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिवर्ष हिन्दी भाषा में सरकारी कामकाज को बढ़ावा देने के लिए समितियों का गठन किया जाता है तथा प्रतिवर्ष हिन्दी पखवाड़ा भी मनाया जाता है जिस पर सार्वजनिक धन का व्यय होता है। इन सारे प्रयासों के बाद भी हिन्दी भाषा में सरकारी कामकाज बढ़ने के स्थान पर कम होता जा रहा है।

राजभाषा हिन्दी के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु बनाए गए राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों का पालन केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, उसके नियंत्रण के निगमों एवं कंपनियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि सांसदों द्वारा हिन्दी में लिखे पत्रों का उत्तर भी उन्हें अंग्रेजी में दिया जा रहा है।

ऐसी दशा में राजभाषा को संरक्षण एवं प्रोत्साहन देने हेतु संविधान एवं राजभाषा अधिनियम में प्रदत्त प्रावधानों को दृढ़ता से लागू किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही इन प्रावधानों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही भी राजभाषा हिन्दी को संरक्षित करने की दृष्टि से आवश्यक है।